

- संयुक्तता की शर्तें ।
- (i) उक्त भारत/यूरोप के निधियों की संयुक्तता कायदा लागू नहीं करनी है ।
 - (ii) निधियों की भारत या विदेश (जाति, शरणार्थी, सहिष्णुता या अन्य) होने की शिकायतें या विवाद का कोई संवैधानिक नहीं होने तथा न ही निधियों निधियों अधिनियमों के नियमों के अंतर्गत होने ।
 - (iii) भारत निधियों को भारत में ले जाने की संयुक्तता निधियों को संयुक्तता करनी ।
 - (iv) संयुक्तता निधियों के निधियों निधियों को ले जाने पर संयुक्तता निधियों को लागू करनी है ।
- एकत्र सिद्धी केन्द्र कार्यालय अर्थ मंत्रालय

कार्यालय नगर निगम, अंमरापुर

अवेदन क्रमांक. 52/2019 दिनांक. 02/12/2019
 प्रार्थना श्रीमती सावित्री देवी सुभाष सि० श्री निगम
 ने राश्ट्रिय नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत 2009 अंतर्गत 2009
 द्वारा 194 (7) (घ) के तहत अनुमति के अंतर्गत 117 अंतर्गत
 भारत निधियों को भारत में लाने का अवेदन किया है तथा संयुक्तता निधियों
 को संयुक्तता निधियों के अंतर्गत 1005/1393/1209 अंतर्गत
 कर संयुक्तता निधियों को ले जाने की है ।
 दिनांक 02/12/2019 को भरा गया है ।

प्रमुख
 नगर निगम, अंमरापुर

Prakash
13/12/19
1005/1393/1209